



2026:AHC-LKO:42203

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ

अपराध विविध जमानत आवेदन संख्या 4548 वर्ष 2026

आदित्य शर्मा

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ

.....विरोधी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता: आशीष कुमार शुक्ला

विरोधी पक्षकार के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

**न्यायालय संख्या - 16**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. यह वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक द्वारा थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित केस अपराध संख्या 95 वर्ष 2026, धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1) भा.न्या.सं. एवं धारा 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम में उसे जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि समान भूमिका वाले सह-अभियुक्तों, अर्थात् खुर्शीद आलम, मो. शादाब अली और राज सिंह को क्रमशः अपराध विविध जमानत

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदन संख्या 3747 वर्ष 2026, 3986 वर्ष 2026 और 3970 वर्ष 2026 में पूर्व में ही ज़मानत पर मुक्त किया जा चुका है। वे आगे प्रस्तुत करते हैं कि पुलिस द्वारा आवेदक को 4 मामलों में फंसाया गया था और उन सभी मामलों में वह ज़मानत पर है। वर्तमान मामले में कोई व्यक्ति व्यक्ति नहीं है। वे यह भी प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक 27.04.2026 से कारागार में निरुद्ध है, वह कार्यवाही में सहयोग करने के लिए तत्पर है, अतः वह ज़मानत का अधिकारी है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की प्रार्थना का घोर विरोध किया। तथापि, वे इस तथ्य से इंकार नहीं करते हैं कि समान भूमिका वाले उपर्युक्त सह-अभियुक्तों को पूर्व में ही ज़मानत पर मुक्त किया जा चुका है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करने और ज़मानत आवेदन की सामग्री के साथ-साथ सह-अभियुक्तों के ज़मानत आदेशों सहित अन्य सुसंगत प्रलेखों का अवलोकन करने पर, यह स्पष्ट है कि समान भूमिका वाले उपर्युक्त सह-अभियुक्तों को पूर्व में ही ज़मानत पर मुक्त किया जा चुका है। अतः, यह ज़मानत का एक उपयुक्त मामला है।

6. ज़मानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

7. उपर्युक्त केस अपराध में संलिप्त आवेदक - **आदित्य शर्मा** को संबंधित न्यायालय के संतोषानुसार एक व्यक्तिगत बन्धपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए:-

(i) आवेदक उस अपराध के समान किसी भी अपराध में भाग नहीं लेगा या उसे कारित नहीं करेगा जिसका उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(iii) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर कोई स्थगन नहीं माँगेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और विधि के अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक नियत तिथि पर या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-क भा.दं.सं./269 भा.न्या.सं. के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(v) यदि आवेदक विचारण के दौरान ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु धारा 82 दं.प्र.सं./ 84 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 174-क भा.दं.सं./209 भा.न्या.सं. के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(vi) आवेदक (1) मामले के प्रारंभ होने, (2) आरोप विरचन एवं (3) धारा 313 दं.प्र.सं./351 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत कथन अभिलिखित करने हेतु नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय ऐसे व्यतिक्रम को ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

8. उपर्युक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन की स्थिति में, यह ज़मानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह किसी भी पक्षकार को कोई अनावश्यक स्थगन दिए बिना प्रश्नगत विचारण को शीघ्रता से संपन्न करे।

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

29 जून, 2026

ए.के.एस.

Translated Version. Not for Legal Use.

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।